24 नारी सशक्तिकरणः विकसित भारत की आधारशिला

डॉ. पवन शर्मा*
सह–आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, लोकप्रशासन विभाग, एस.एस. जैन सुबोध पीजी (स्वायत्तशासी) महाविद्यालय, रामबाग सर्किल, जयपुर।
*Corresponding Author: pawan39jpr@gmail.com

सार

यदि किसी राष्ट्र को विकसित बनाना है, तो उसकी महिलाओं को सशक्त बनाना अनिवार्य है।"

–महात्मा गाँधी

नारी सशक्तिकरण विकसित भारत की परिकल्पना का एक अनिवार्य तत्व है, क्योंकि समावेशी विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग समान रूप से प्रगति करें। भारतीय समाज में महिलाओं को शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक स्वतंत्रता और नेतृत्व के अवसर प्रदान करना राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को सशक्त बनाता है। जब महिलाएँ निर्णय–निर्माण में भागीदारी निभाती हैं, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थिरता और सांस्कृतिक संतुलन को बढ़ावा मिलता है। सरकारी योजनाएँ जैसे "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" और "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" महिलाओं के आत्मविश्वास और स्वावलंबन को बढ़ा रही हैं। फिर भी, लैंगिक असमानता और सामाजिक रूढ़ियों को समाप्त करना आवश्यक है। नारी सशक्तिकरण केवल महिलाओं के उत्थान तक सीमित नहीं, बल्कि विकसित, समृद्ध और समानतापूर्ण भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

शब्दकोशः नारी सशक्तिकरण, शिक्षा, आत्मनिर्भरता, समान अवसर, विकसित भारत।

प्रस्तावना

सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को अधिकार देना ही नहीं है, बल्कि उन्हें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और मानसिक रूप से इतना सक्षम बनाना है कि वे अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं ले सकें और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभा सकें। किसी भी देश की वास्तविक प्रगति का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि वहाँ महिलाओं की स्थिति कैसी है। यही कारण है कि नारी सशक्तिकरण को विकसित भारत की आधारशिला कहा जाता है।

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में महिलाओं की भूमिका सदैव महत्त्वपूर्ण रही है। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति, ज्ञान और सृजन का प्रतीक माना गया है। "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः" जैसी उक्ति भारतीय समाज में नारी के सम्मान को दर्शाती है। किंतु व्यवहारिक जीवन में महिलाओं को लंबे समय तक भेदभाव, शोषण और असमानता का सामना करना पड़ा है।

वर्तमान समय में नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता

नारी सशक्तिकरण किसी भी सभ्य और विकसित समाज की आधारशिला है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में महिलाओं की भूमिका केवल परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्र के निर्माण में समान भागीदार हैं। इसके बावजूद वर्तमान समय में भी महिलाओं को अनेक सामाजिक, आर्थिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आधुनिक विज्ञान और तकनीक के युग में भी यदि समाज का आधा हिस्सा असमानता और असुरक्षा में जी रहा हो, तो उस समाज को पूर्ण रूप से विकसित नहीं कहा जा सकता। इसी कारण आज नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।

स्वामी विवेकानंद ने सही कहा था कि "जिस देश में नारी का सम्मान नहीं होता, वह देश कभी प्रगति नहीं कर सकता।"

आज भी समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव विभिन्न रूपों में देखने को मिलता है। कार्यस्थलों पर समान कार्य के लिए असमान वेतन, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, यौन उत्पीड़न और साइबर अपराध जैसी समस्याएँ महिलाओं के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध आज भी एक गंभीर सामाजिक चुनौती बने हुए हैं। यह स्थिति समाज की सोच और व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाती है।

ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति और भी चिंताजनक है। आज भी कई स्थानों पर बाल विवाह, और लड़कियों की शिक्षा में रुकावट जैसी कुप्रथाएँ मौजूद हैं। आर्थिक तंगी और रूढ़िवादी सोच के कारण अनेक परिवार बेटियों की पढ़ाई को अनावश्यक समझते हैं और उन्हें कम उम्र में विवाह के बंधन में बाँध देते हैं। इससे न केवल उनका भविष्य प्रभावित होता है, बल्कि पूरे समाज का विकास भी बाधित होता है। शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी प्रगति की राह पर ले जाती है। कहा जाता है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है।

आज अनेक महिलाएँ शिक्षा और अवसर मिलने पर हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं। विज्ञान, खेल, राजनीति, सेना और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियाँ प्रेरणादायक हैं। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष विज्ञान में भारत का नाम रोशन किया, मैरी कॉम ने खेल के क्षेत्र में विश्व स्तर पर पहचान बनाई और पी.वी. सिंधु ने बैडमिंटन में

ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल कीं। ये उदाहरण सिद्ध करते हैं कि यदि अवसर दिए जाएँ तो महिलाएँ किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं।

भारत सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना और महिला स्वावलंबन से जुड़ी योजनाएँ। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके साथ ही समाज की मानसिकता में बदलाव लाना भी उतना ही आवश्यक है। महिलाओं को केवल घरेलू भूमिकाओं तक सीमित न रखकर उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर देने होंगे।

आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी नारी सशक्तिकरण को विशेष महत्व दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, लैंगिक समानता केवल मानव अधिकार नहीं, बल्कि सतत, विकास की आधारशिला है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में समान अवसर मिलने से महिलाएँ न केवल अपने जीवन स्तर को सुधारती हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी लाती हैं।

अंततः यह कहा जा सकता है कि नारी सशक्तिकरण केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के विकास से जुड़ा हुआ विषय है। जब महिलाओं को समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्राप्त होंगे, तभी एक सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण संभव होगा।

भारत में नारी सशक्तिकरण के प्रयास

भारत में नारी सशक्तिकरण का विचार केवल आधुनिक सोच का परिणाम नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की आत्मा में निहित है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ प्राचीन काल में नारी को देवी का स्थान दिया गया, वहीं मध्यकाल और औपनिवेशिक काल में महिलाओं की स्थिति कमजोर होती चली गई। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस असमानता को समझते हुए महिलाओं को समान अधिकार,अवसर और सुरक्षा प्रदान करने के लिए ठोस संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था की।वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयास सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त थे। गार्गी, मैत्रेयी, अपाला और लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं ने ज्ञान परंपरा को समृद्ध किया। मध्यकाल में सामाजिक कुरीतियों जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा के कारण महिलाओं की स्थिति कमजोर होती गई। ब्रिटिश काल में भी शिक्षा और अधिकारों तक महिलाओं की सीमित पहुँच रही।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और अरुणाआसफ अली जैसी महिलाओं ने देश की आजादी में

महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता का अधिकार देकर नारी सशक्तिकरण की नींव रखी।

संवैधानिक प्रावधानों द्वारा नारी सशक्तिकरण

भारतीय संविधान महिलाओं को समानता और सम्मान का अधिकार प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15(1) लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषिद्ध करता है, जबकि अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर सुनिश्चित करता है।

इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 39(क) पुरुषों और महिलाओं को समान आजीविका का अधिकार प्रदान करता है तथा अनुच्छेद 39(घ) समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। अनुच्छेद 42 महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर मानवीय परिस्थितियाँ और मातृत्व लाभ सुनिश्चित करता है। पंचायती राज व्यवस्था में 73वां और 74वां संविधान संशोधन महिलाओं को स्थानीय स्वशासन में 33ः आरक्षण प्रदान करता है, जिससे राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है।

महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रयास

महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम महिलाओं को त्वरित न्याय और संरक्षण दिलाने में सहायक है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके अलावा दहेज निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम और यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (च्ब्ब्) जैसे कानून महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

शिक्षा के माध्यम से नारी सशक्तिकरण

शिक्षा नारी सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। इस तथ्य को समझते हुए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य बालिका भ्रूण हत्या को रोकना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, समग्र शिक्षा अभियान और छात्रवृत्ति योजनाएँ लड़कियों को विद्यालय से जोड़ने में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

शिक्षित महिला न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन की वाहक भी बनती है। शिक्षा के माध्यम से महिलाएँ निर्णय लेने में सक्षम बनती हैं और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाती हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सरकारी पहल

आर्थिक स्वतंत्रता के बिना सशक्तिकरण अधूरा है। इसी उद्देश्य से सरकार ने महिलाओं के लिए अनेक आर्थिक योजनाएँ लागू की हैं। स्वयं सहायता समूह (भ्ळ) आंदोलन ने ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है। मुद्रा योजना, स्टैंड–अप इंडिया और महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के अवसर प्रदान करते हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करती है, जबकि उज्ज्वला योजना ने गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन देकर उनके स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार किया है। इन योजनाओं से महिलाएँ आत्मनिर्भर बन रही हैं और परिवार की आर्थिक रीढ़ बन रही हैं।

राजनीतिक सशक्तिकरण और भागीदारी

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। पंचायतों और नगर निकायों में आरक्षण के कारण लाखों महिलाएँ नेतृत्व की भूमिका में आई हैं। इससे न केवल उनकी निर्णय क्षमता विकसित हुई है, बल्कि समाज में उनकी स्वीकार्यता भी बढ़ी है। वर्तमान समय में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

सामाजिक जागरूकता और मानसिकता में परिवर्तन

सरकारी प्रयासों के साथ–साथ समाज की सोच में बदलाव भी आवश्यक है। आज भी कई क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक सोच महिलाओं की प्रगति में बाधा बनती है। मीडिया, शिक्षा संस्थान और सामाजिक संगठन महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा

हालाँकि भारत में नारी सशक्तिकरण के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। योजनाओं का सही क्रियान्वयन, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच, और सामाजिक रूढ़ियों को समाप्त करना अभी भी बड़ी चुनौती है। इसके लिए सरकार, समाज और परिवार तीनों को मिलकर प्रयास करने होंगे।

नारी सशक्तिकरण के समक्ष चुनौतियाँ

आज भी महिलाओं के सामने कई चुनौतियाँ मौजूद हैं जैसेः–

- घरेलू हिंसा
- कार्यस्थल पर असमान वेतन
- शिक्षा में असमानता
- साइबर अपराध और मानव तस्करी

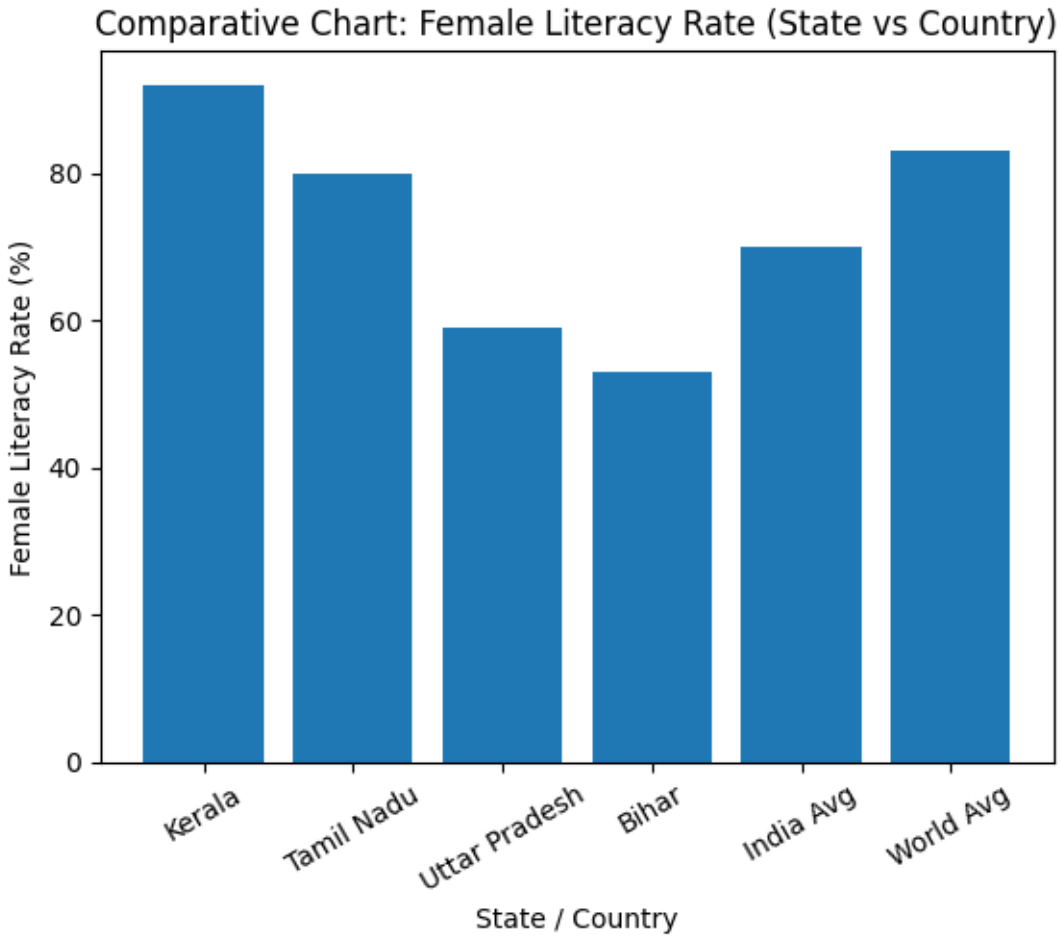

इस बवउचंतंजपअम बींतज में भारत के कुछ राज्यों (Kerala, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Bihar), की महिला साक्षरता दर की तुलना की गई है।

Kerala (92%) में महिला साक्षरता सबसे अधिक है, जो शिक्षा के प्रति जागरूकता को दर्शाता है।

Tamil Nadu (80%) भी राष्ट्रीय औसत से ऊपर है।

Uttar Pradesh (59%) और ठपींत (53%) में महिला साक्षरता दर कम है, जो सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को दिखाती है।

यह comparative chart स्पष्ट करता है कि भारत के भीतर ही राज्यों के बीच बड़ा अंतर है और साथ ही भारत को वैश्विक स्तर तक पहुँचने के लिए महिला शिक्षा और सशक्तिकरण पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

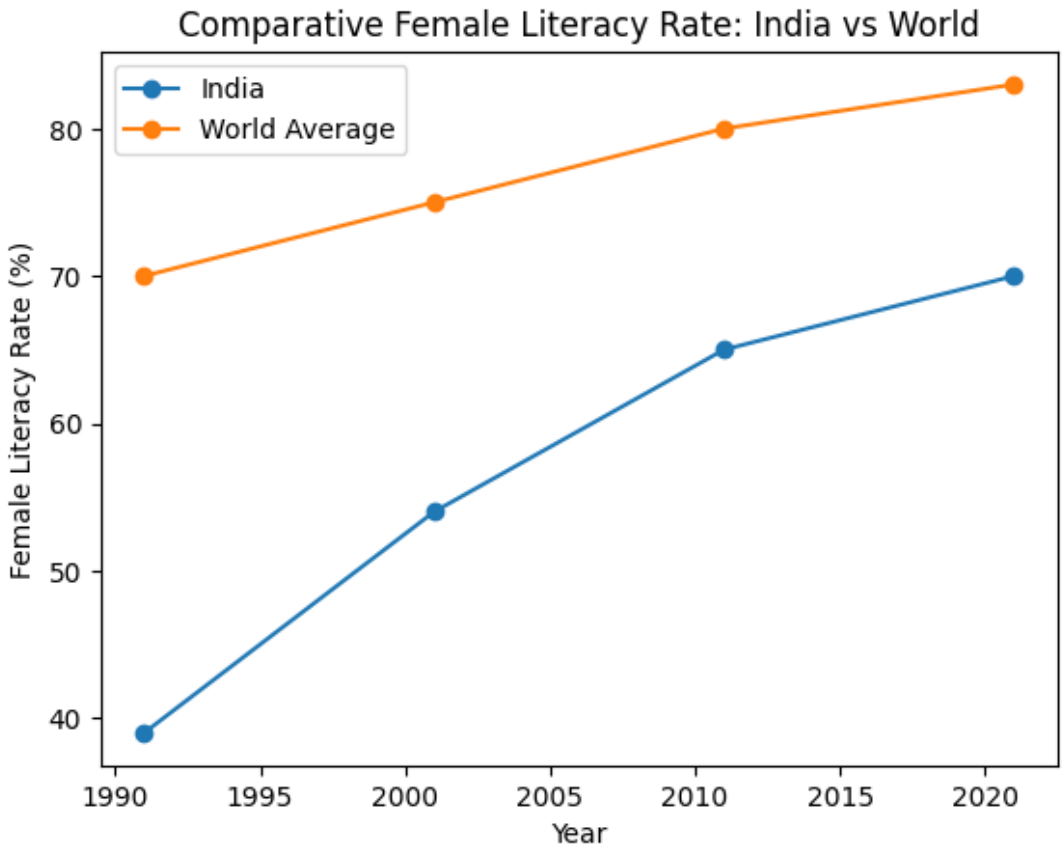

यह तुलनात्मक रेखा–चित्र भारत और विश्व की महिला साक्षरता दर में समय के साथ हुए परिवर्तन को दर्शाता है। ग्राफ के अनुसार वर्ष 1991 में भारत में महिला साक्षरता दर लगभग 39% थी, जबकि विश्व औसत लगभग 70% था। वर्ष 2001 में भारत की साक्षरता दर बढ़कर लगभग 54% हो गई और 2011 में यह लगभग 65: तक पहुँच गई। 2021 में भारत की महिला साक्षरता दर लगभग 70% हो गई, जो निरंतर प्रगति को दर्शाती है। दूसरी ओर, विश्व औसत भी लगातार बढ़ता रहा और 2021 में लगभग 83% तक पहुँच गया।

ग्राफ से स्पष्ट होता है कि भारत में नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में सुधार हुआ है, लेकिन महिला शिक्षा के स्तर पर भारत अभी भी विश्व औसत से पीछे है। अतः महिलाओं की शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देकर नारी सशक्तिकरण को और मजबूत किया जा सकता है।

विकसित भारत के लिए नारी सशक्तिकरण का महत्व

विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक उन्नति या आधुनिक बुनियादी ढाँचे से नहीं है, बल्कि एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ समाज के सभी वर्गोंकृविशेषकर महिलाएँकृसमान अधिकार, सम्मान और अवसरों के साथ आगे बढ़ें। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग आधा भाग महिलाएँ हैं। यदि यह आधी आबादी विकास की मुख्यधारा से वंचित रहती है, तो राष्ट्र का समग्र विकास

संभव नहीं हो सकता। इसलिए विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नारी सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है।

- **आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका**

नारी सशक्तिकरण से महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ती है, जिससे देश की आर्थिक उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। जब महिलाएँ रोजगार, उद्योग और उद्यमिता से जुड़ती हैं, तो राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएँ स्वरोजगार अपनाकर न केवल अपने परिवार की आय बढ़ा रही हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना रही हैं। विकसित भारत की परिकल्पना तभी साकार हो सकती है जब महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों।

- **सशक्त परिवार और स्वस्थ समाज का निर्माण**

नारी परिवार की आधारशिला होती है। एक शिक्षित और सशक्त महिला अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा, संस्कार और स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करती है। इससे आने वाली पीढ़ियाँ अधिक सक्षम और जिम्मेदार बनती हैं।

जब महिलाएँ सशक्त होती हैं, तो कुपोषण, अशिक्षा और बाल श्रम जैसी समस्याओं में कमी आती है। इस प्रकार नारी सशक्तिकरण से एक स्वस्थ और सशक्त समाज का निर्माण होता है, जो विकसित भारत के लिए आवश्यक है

- **शिक्षा के प्रसार में योगदान**

शिक्षा विकास का मूल आधार है और नारी सशक्तिकरण इसके विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षित महिलाएँ शिक्षा के महत्व को समझती हैं और बालिका तथा बालक दोनों की शिक्षा पर समान ध्यान देती हैं।

जब महिलाओं को शिक्षा के समान अवसर मिलते हैं, तो समाज में जागरूकता बढ़ती है, सामाजिक कुरीतियाँ कम होती हैं और नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है। इससे भारत ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होता है।

- **राजनीतिक और प्रशासनिक सशक्तिकरण**

विकसित भारत के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजबूत होना आवश्यक है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से निर्णय–निर्माण अधिक समावेशी और संवेदनशील बनता है।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि महिलाएँ स्थानीय समस्याओं जैसे स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति को प्रभावी ढंग से सुलझा सकती हैं। जब महिलाएँ नीति–निर्माण में भाग लेती हैं, तो विकास की योजनाएँ समाज के हर वर्ग तक पहुँचती हैं।

- **सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना**

नारी सशक्तिकरण समाज में समानता और न्याय की भावना को मजबूत करता है। लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा और असमान वेतन जैसी समस्याएँ राष्ट्र के विकास में बाधक हैं।

सशक्त महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति सजग होती हैं और अन्य महिलाओं को भी जागरूक करती हैं। इससे समाज में संतुलन और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित होती है, जो विकसित राष्ट्र की पहचान है।

- **विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में योगदान**

आज भारतीय महिलाएँ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही हैं।

जब महिलाओं को समान अवसर और संसाधन मिलते हैं, तो वे नए विचारों और नवाचारों के माध्यम से राष्ट्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाती हैं। विकसित भारत के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि देश की आधी प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर मिले।

- **राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतिष्ठा में वृद्धि**

जिस देश में महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर प्राप्त होते हैं, उसकी छवि वैश्विक मंच पर सकारात्मक बनती है।

नारी सशक्तिकरण से भारत न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनता है, बल्कि सामाजिक और नैतिक रूप से भी एक आदर्श राष्ट्र के रूप में स्थापित होता है।

- **सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति**

संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों (क्ळे) में लैंगिक समानता को विशेष महत्व दिया गया है। नारी सशक्तिकरण के बिना गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है।

इस प्रकार नारी सशक्तिकरण विकसित भारत के सतत और समावेशी विकास का आधार है।

नारी सशक्तिकरण के उपाय

नारी सशक्तिकरण किसी भी समाज के समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। जब तक समाज की आधी आबादी को समान अधिकार, अवसर और सम्मान प्राप्त नहीं होगा, तब तक विकास अधूरा ही रहेगा। नारी सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को अधिकार देना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना और सामाजिक–आर्थिक जीवन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। वर्तमान समय में, जब महिलाएँ शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल और प्रशासन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तब नारी सशक्तिकरण के प्रभावी उपायों को अपनाना और भी अधिक आवश्यक हो गया है।

- **शिक्षा द्वारा नारी सशक्तिकरण**

नारी सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी और मजबूत उपाय शिक्षा है। शिक्षा ही वह माध्यम है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है और उन्हें अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है। एक शिक्षित महिला न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रगति की दिशा में ले जाती है।

आज भी भारत के कई ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता। आर्थिक तंगी, सामाजिक रूढ़ियाँ और बाल विवाह जैसी समस्याएँ लड़कियों की पढ़ाई में बाधा बनती हैं। इन परिस्थितियों को बदलने के लिए आवश्यक है कि लड़कियों को प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक समान अवसर प्रदान किए जाएँ। विद्यालयों की संख्या बढ़ाना, छात्रवृत्ति योजनाएँ, निःशुल्क शिक्षा और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना नारी सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

शिक्षा महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करती है, उन्हें स्वतंत्र सोच विकसित करने में मदद करती है और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस देती है। वास्तव में, शिक्षा ही नारी सशक्तिकरण की नींव है।

- **आर्थिक आत्मनिर्भरता और रोजगार के अवसर**

नारी सशक्तिकरण का दूसरा महत्वपूर्ण उपाय महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सशक्त नहीं हो सकता। महिलाओं को रोजगार में समान अवसर, समान वेतन और सुरक्षित कार्य वातावरण मिलना अत्यंत आवश्यक है।

आज भी कई कार्यस्थलों पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है और उन्हें निर्णयात्मक पदों पर कम अवसर मिलते हैं। इस असमानता को समाप्त करने के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को प्रभावी रूप से लागू करना आवश्यक है।

इसके साथ ही महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार योजनाएँ और उद्यमिता को बढ़ावा देना भी जरूरी है। स्वयं सहायता समूह, लघु उद्योग, हस्तशिल्प, डिजिटल कार्य और स्टार्ट–अप जैसी गतिविधियाँ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती हैं। जब महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, तो वे अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं ले पाती हैं और समाज में सम्मान प्राप्त करती हैं।

- **कानूनी सुरक्षा और अधिकारों की जानकारी**

नारी सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है। समाज में महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और साइबर अपराध जैसी समस्याएँ आज भी मौजूद हैं।

इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनकी जानकारी और सही क्रियान्वयन अब भी एक चुनौती है। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि कानून उन्हें सुरक्षा और न्याय प्रदान करता है। कानूनी जागरूकता कार्यक्रम, हेल्पलाइन सेवाएँ और त्वरित न्याय प्रणाली नारी सशक्तिकरण को मजबूत बनाती हैं।

जब महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं, तो वे अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने में सक्षम होती हैं। यह जागरूकता समाज में भयमुक्त और सम्मानजनक वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध होती है।

- **स्वास्थ्य और पोषण की व्यवस्था**

स्वस्थ महिला ही सशक्त महिला बन सकती है। नारी सशक्तिकरण के उपायों में महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। आज भी कई क्षेत्रों में महिलाओं को पर्याप्त पोषण, चिकित्सा सुविधा और स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं मिल पातीं।

मातृ स्वास्थ्य, किशोरियों का पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी सुविधाएँ महिलाओं के समग्र विकास के लिए अनिवार्य हैं। स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, निःशुल्क चिकित्सा सेवाएँ और स्वच्छता सुविधाएँ महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाती हैं।

स्वस्थ महिला न केवल स्वयं सशक्त होती है, बल्कि एक स्वस्थ परिवार और समाज का निर्माण भी करती है।

- **सामाजिक सोच और मानसिकता में परिवर्तन**

नारी सशक्तिकरण का सबसे कठिन लेकिन सबसे आवश्यक उपाय समाज की सोच में बदलाव लाना है। आज भी कई स्थानों पर पितृसत्तात्मक सोच महिलाओं की प्रगति में बाधा बनती है। महिलाओं को निर्णय लेने से वंचित करना, उन्हें केवल घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रखना और उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना सशक्तिकरण के मार्ग में बड़ी बाधाएँ हैं।

समाज को यह समझना होगा कि महिलाएँ भी समान रूप से सक्षम हैं। परिवार में लड़कियों और लड़कों को समान अवसर देना, महिलाओं की राय को महत्व देना और उनके निर्णयों का सम्मान करना आवश्यक है। शिक्षा, मीडिया और सामाजिक संगठनों की भूमिका इस मानसिकता परिवर्तन में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- **राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी**

नारी सशक्तिकरण के उपायों में महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देना भी शामिल है। जब महिलाएँ निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होती हैं, तो नीतियाँ अधिक समावेशी और संवेदनशील बनती हैं।

स्थानीय निकायों, पंचायतों और सामाजिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी से नेतृत्व क्षमता विकसित होती है और समाज में उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और महिलाओं को अपनी आवाज उठाने का मंच प्रदान करती है।

निष्कर्ष

अंततः यह कहा जा सकता है कि नारी सशक्तिकरण के उपाय बहुआयामी हैं और इन्हें एक साथ अपनाने की आवश्यकता है। शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, कानूनी सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ, सामाजिक सोच में बदलाव और राजनीतिक भागीदारी ये सभी नारी सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

जब महिलाएँ शिक्षित, स्वस्थ, आत्मनिर्भर और सम्मानित होंगी, तभी समाज सशक्त होगा और राष्ट्र वास्तविक प्रगति की ओर अग्रसर होगा। नारी सशक्तिकरण केवल महिलाओं का विषय नहीं, बल्कि पूरे समाज के उज्ज्वल भविष्य की कुंजी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत का संविधान
- अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता
- अनुच्छेद 15 – लिंग आधारित भेदभाव का निषेध
- अनुच्छेद 16 – समान अवसर का अधिकार
- अनुच्छेद 39(क) एवं 39(घ) – समान आजीविका एवं समान वेतन
- 73वाँ एवं 74वाँ संविधान संशोधन (महिलाओं को स्थानीय निकायों में आरक्षण)

2. दहेज निषेध अधिनियम, 1961
3. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
4. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलामरू इंडिया 2020ः नए सहस्राब्दी के लिए एक दृष्टि
5. घाटक, एम. (2024). भारत में महिला सशक्तिकरणः राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक. नई दिल्लीः आईबीपी बुक्स।
6. शर्मा, पी. डी. (2017). महिला सशक्तीकरण और नारीवाद. जयपुरः रावत पब्लिकेशन्स।
7. कुमार, आर. (1993). करने का इतिहासरू भारत में महिला अधिकारों और नारीवाद आंदोलनों का एक चित्रात्मक विवरण (1800–1990). नई दिल्लीः काली फॉर वीमेन।
8. अवस्थी, डी. (2016). भारत में बालिका शिक्षाः बालिका शिक्षा को महिला सशक्तिकरण एवं विकास से जोड़ना तृतीय. काल्पाज़ पब्लिकेशन्स।
9. जीनगर, ए. एल., कुमारी, पी., एवं चौधरी, आर. (2025).महिला सशक्तिकरण और नारीवाद. मीडो पब्लिकेशन।
10. शर्मा, पी. डी. (2017). महिला सशक्तिकरण और नारीवाद. जयपुरः रावत पब्लिकेशन्स।
11. जैन, कामिनी. (2024). महिला सशक्तिकरणः चुनौतियाँ एवं समाधान. बिलासपुरः शाश्वत पब्लिकेशन।
12. सिंह, राजीव रंजन. (2025). महिला सशक्तिकरणः सम्मान, समृद्धि और सुदृढ़ता. नई दिल्लीः डायमंड बुक्स।

13. अहूजा, राम. (2010). भारतीय समाज. जयपुरः रावत पब्लिकेशन्स।
14. मिश्र, श्यामलाल. (2016). भारतीय संविधान और महिला अधिकार. इलाहाबादः विधि साहित्य प्रकाश
15. कुमार, संतोष. (2021). मानव अधिकार और महिलाएँ. नई दिल्लीः राधा प्रकाशन।
16. भारत सरकार. (2016). राष्ट्रीय महिला नीति. नई दिल्लीः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
17. भारत सरकार. (2021). राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ;एनएफअचएस–5द्ध॰ नई दिल्लीः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
18. भारत का संविधान. (2020). भारत का संविधान (संशोधित संस्करण). नई दिल्लीः भारत सरकार प्रकाशन विभाग।
19. योजना. (2020). नारी सशक्तिकरण विशेषांक. नई दिल्लीः भारत सरकार।